न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 29/2011

श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावत निवासी ग्राम–जीवाणा, तहसील–मसूदा, जिला–अजमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमान प्रधानाध्यापक, राजकीय केन्द्रीय प्राथमिक विद्यालय, जीवाणा तहसील मसूदा
2. राजस्थान सरकार जरीये जिलाधीश महोदय, अजमेर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार महोदय तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
4. सर्व शिक्षा अभियान जरिये बी0आर0सी0एफ0, मसूदा जिला अजमेर (राज0)
5. श्रीमती कनिजा पत्नी श्री किशन जाति मेहरात निवासी–ग्राम जीवाणा तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल सरपंच ग्राम पंचायत जीवाणा तह मसूदा अजमेर (राज0)
6. हैदर पुत्र श्री नामालूम जाति मेहरात निवासी–रावता बाडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल सचिव ग्राम पंचायत जीवाणा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 24-8-2016

इस वाद पत्र में वादी ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जीवाणा, भू.अ.नि. क्षेत्र रामगढ तह मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 कुल किता 6 रकबा 4–15–00 बीघा भूमि उसकी खुद काश्त से खातेदारी की भूमियां है जिन पर प्रतिवादीगण सं. 1, 5 व 6 जबरन अतिक्रमण कर विद्यालय में प्राप्त अनुदान से भवन निर्माण एवं चार दीवारी करने पर आमादा है तथा उन्होने वादी द्वारा निर्मित दीवारों को तोडकर नई नीवें खोदना प्रारम्भ कर दिया है तथा निर्माण सामग्री मौके पर डलवा दी है उन्हे मना करने पर जेल भिजवाने की धमकियां दे रहे है । अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी की खातेदारी की विवादित आराजी पर अतिक्रमण करने, काश्तकारी करने तथा वादी को बेदखल करने आदि से निषेध किया जावे तथा विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवा कर पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने अपने प्रतिवाद पत्र में निवेदन किया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जीवाणा के लिए विधायक कोष से चार दीवारी निर्माण कार्य हेतु बजट आवंटित किया गया है जिसकी

कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत है जिसके पास विद्यालय भूमि का पट्टा एवं दस्तावेज उपलब्ध है । विद्यालय की भूमि से लगायत वादी की भूमि स्थित है इसी का अनुचित लाभ उठाते हुये उसने व अन्य लोगों ने विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था जिसे दिनांक 14.11.2010 को नायब तहसीलदार ने हमराह प्रशासनिक अमले के तथा ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों के सहयोग से हटवाया गया तथा जिस पर स्वंय वादी के भी हस्ताक्षर है । नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा दिनांक 22.03.2011 को सीमा ज्ञान कराने के पश्चात विद्यालय की भूमि में ग्राम पंचायत ने चार दीवारी का कार्य प्रारम्भ किया उसी पूर्व ही वादी ने न्यायालय को गुमराह करने की मंशा से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः निवेदन है कि वादी का वाद निरस्त फर्माने की कृपा करावें ताकि विद्यालय की चार दिवारी का कार्य पूर्ण किया जा सके ।

प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 ने वादी वाद सिद्ध करने के कथन कर कोई जवाब पेश नहीं किया है । प्रतिवादी सं0 1 व 4 के जवाब के अभाव में दिनांक 12.12.2014 को जवाब हक बंद किये गये और सहवन से तनकी कायमी की अपेक्षा शहदत वादी में मुर्करर कर दी गई अतः शहदत वादी के चलते निम्न तनकियात कायम की जाती है :–

1. अया विवादित आराजी उसकी खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन चार दीवारी एवं भवन निर्माण करने पर आमादा है । अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है ?
2. अया विवादित आराजी से लगायत राजकीय प्रा.वि. की भूमि में वादीगण वगैरह द्वारा किये गये अतिक्रमण को वादी की मौजूदगी में बाद सीमांकन प्रशासन एवं ग्राम वासियान तथा ग्राम पंचायत द्वारा हटा दिये जाने से वादी यह झूठा वाद लाया गया है जो निरस्त योग्य है ?
3. अनुतोष ?

उभय पक्षान के वाद प्रतिवाद के कथनों पर प्रकरण के कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है ।

तनकी – 1

इसे सिद्ध करने का भार वादी पर रहा है । उसने अपनी विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 5 व 6 द्वारा जबरन अतिक्रमण कर चार दिवारी एवं भवन निर्माण का आक्षेप करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा एवं पत्थर गढ़ी का अनुतोष प्रस्तुत वाद पत्र से चाहा है । लेकिन उसे प्रयाप्त अवसर दियेजाने पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और ना ही अतिक्रमण बाबत् कोई दस्तावेज पेश किया है । वहीं उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2010 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें उसके ख.नं. 1938, 1939 व 1940 की भूमि मे बाड़े बने है यह भूमि वादी की खातेदारी में नहीं है । जिस बाबत वादी ने श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर से शिकायत की है कि इन भूमियों पर बने बाड़ो को लेकर असामाजिक तत्व सही सीमांकन नहीं होने देते है । यह प्रार्थना–पत्र प्रकरण में प्रभावी नहीं है । इस संदर्भ में प्रतिवाद पत्र जो प्रतिवादी सं 5 व 6 द्वारा दिनांक 25.05.2011 को प्रस्तत कर दिया गया था इसमें कथन किये गये है कि वादी एवं अन्य लोगों ने राज. प्रा. विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर बाडे बना रखे थे जिन्हें बाद सीमांकन के नायब तहसीलदार बिजयनगर ने अपने दल के साथ हमराह ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों के वादी की मौजूदगी में हटवा दिये गये थे । इस बाबत् बने पर्चे पर वादी के भी हस्ताक्षर है अलावा इसके वादी के

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

आवेदन पर नायब तहसीलदार बिजयनगर ने पुनः दिनांक 22.03.2011 को वादी की विवादित आराजी का सीमांकन कर दिया था किन्तु वादी ने न्यायालय को गुमराह कर वाद प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाली है । इस प्रतिवाद पत्र का वादी ने कोई रिजोईडर प्रस्तुत नहीं किया है यही नहीं दिनांक 15.06.2016 को न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प पर उभय पक्ष बावजूद तामीली के अनुपस्थित रहे है । इस प्रकार प्रतिवाद पत्र पर वादी की मौन सहमति रही है नाप चोप उसकी उपस्थित में हुआ लेकिन उसकी प्रति पेश नहीं की है । इसलिए वह अपने विरोधभासी आचरण के कारण अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं है । अतः तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है ।

तनकी – 2

इसका भार प्रतिवादी सं. 1, 5 व 6 पर रहा है । प्रतिवादी सं. 1 ने कोई जवाब पेश नहीं किया । प्रतिवादी सं 5 व 6 ने स्पष्ट एवं विस्तार से जवाब पेश किया है कि राज. प्रा.वि. की भूमि पर विधायक कोष से आवंटित खर्चे से चार दीवारी बनाई जा रही है जिसके लिए वे अधिकृत एजेन्सी है । वादी का स्कूल की आराजी के अतिक्रमण था जिसे उसकी मौजूदगी में हटाया गया यह जवाब ही तनकी साबित करने के प्रयाप्त है । तनकी बहक प्रतिवादी 5 व 6 तय की जाती है।

अनुतोष ?

प्रकरण में कायम तनकियात के निर्णय पर वादी स्वंय राज. प्रा.वि. जीवाणा की भूमि पर अतिक्रमी होने से अन्य अतिक्रमियों के साथ उसका भी बाडा व तामीरात आदि हटाये गये है । जो उसके प्रा.पत्र दिनांक 18.11.2010 से साबित है । वादी अपने वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

अतः ग्राम जीवाणा स्थित आराजी ख.नं. 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 कुल किता 6 रकबा 4–15–00 बीघा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति एवं पूर्व में समय–समय पर सीमांकन के बावजूद पुनः सीमांकन एंव पत्थर गढ़ी के लिए लाया गया वाद स्वीकार योग्य नहीं है अतः सव्यय निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 27.04.2011 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तरीम आदेश अपास्त किया जाता है वाद खर्च पक्षकारान अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24-8-16 को कार्यालय हाजा में सर इलजास सुनाया जा रहा है ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 15:56:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: